न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :– 09/20–21

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

1. तेतरू जुसफ मुण्डा वो 2. सुम्बर मुण्डा – विक्रेता

राजेन्द्र मुण्डा – क्रेता

... की क्रम ...ख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
...09.2020	**आदेश**	

आवेदक 1. तेतरू जुसफ मुण्डा वो 2. सुम्बर मुण्डा दोनों पिता स्व0 सुलेमान मुण्डा दोनों ग्राम–गोड़ाटोली, थाना मुरहू, जिला खूँटी, ने राजेन्द्र मुण्डा पिता मथुरा मुण्डा ग्राम–चारीद, पोस्ट–ईट्ठे, थाना मुरहू, जिला खूँटी, के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
मुरहू	44	92	1242	0.15

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र /खतियान एवं लगान की रसीद सं0 1491663346 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 579 दिनांक 14.09.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0–783/767 दिनांक 28.06.2013 से क्रय की गयी है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत का नाम हलु मुण्डा वगैराह हैं। पंजी II के अनुसार तेतरू जुसफ मुण्डा वगैराह के नाम भूमि का रकवा 0.15 एकड़ है। आवेदक के हिस्से में कुल रकवा 1.70 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 33866.00(तैतीस हजार आठ सौ छयासठ)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 1.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. तेतरू जुसफ मुण्डा वो 2. सुम्बर मुण्डा दोनों पिता स्व0 सुलेमान मुण्डा को राजेन्द्र मुण्डा पिता मथुरा मुण्डा के साथ ग्राम मुरहू के खाता सं0 92 खेसरा संख्या 1242 कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 33866.00(तैतीस हजार आठ सौ छयासठ)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

18/09/20   18/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।   भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी।